बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 15.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 23,432 लीटर अवैध शराब तथा जमुई जिला में 1 डेटोनेटर जप्त किया गया।

समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थानान्तर्गत ₹5,49,000/– एवं दलसिंहसराय थानानतर्गत ₹19,00,000/– तथा किशनगंज जिले में ₹33,00,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु विभिन्न एजेंसियों यथा पुलिस, आयकर, उत्पाद, रेल पुलिस, प्रवर्त्तन निदेशालय, CISF, SSB, बैंक एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा दिनांक 16.09.2015 के मध्याह्न 12:00 बजे एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें निर्वाचन की घोषणा के उपरांत इन एजेंसियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	33
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	1
Violation of Loudspeaker Act	1
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	9
No. of Explosives seized	5
No. of cartridges seized	19
No. of Bombs seized	2
No. of Licensed Arms verified	210

No. of Licensed Arms deposited	331
No. of Licensed Arms Cancelled	142
No. of non-bailable warrants executed	749
Fine collected in vehicle checking	Rs. 19,09,351

4. **नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य**

- नामांकन निवार्ची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आम सूचना में उल्लेखित स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है।
- अभ्यर्थी के लिए विधान सभा निर्वाचन के लिए 25 वर्ष आयु की अर्हता होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं जबकि प्रस्तावक के लिए उसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।
- सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रूपये की जमानत राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मामले में जमानत राशि 5 हजार निर्धारित है।
- विधान सभा निर्वाचन के लिए प्ररूप–2ख में नामांकन दाखिल किया जाना है।
- प्ररूप–2ख के साथ अभ्यर्थी प्ररूप–26 में प्रतिशपथ पत्र में विभिन्न विषयों पर यथा न्यायालय में लम्बित मामले, दर्ज मामले, सजा, शैक्षणिक योग्यता, दायित्वों आदि की विवरणी प्रस्तुत करेंगे। प्ररूप–26 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे नामांकन की अन्तिम तिथि के 03:00 बजे अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्ररूप–26 पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। अपूर्ण प्ररूप–26 दाखिल करने के स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (बिहार के मामले में 6 राष्ट्रीय एवं 4 राज्य स्तरीय दल हैं) के मामले में एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय से भिन्न अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
- नामांकन के समय अधिकतम 3 वाहन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के 100 मीटर की परिधि में जा सकते हैं।
- नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत कुल 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।

- मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों के लिए प्ररूप–ए एवं बी निर्गत किये जायेंगे जिसके आधार पर उनको उक्त श्रेणियों में अन्य आवश्यक अर्हता होने पर मान्यता दी जायेगी।
- बिहार राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में खड़े हो सकते है।
- अभ्यर्थियों के छायाचित्र मतपत्र पर मुद्रित होंगे। सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपना नवीनतम छायाचित्र नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

5. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर वैशाली, नालन्दा एवं पटना जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

****